रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275] नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2014/ज्येष्ठ 5, 1936
No. 275] NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2014/JYAISTHA 5, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2014

सा.का.नि.355 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) दूसरा संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 में, —

(क) नियम 5 के उपनियम (2) में "प्ररूप 1 या प्ररूप 1-क या प्ररूप 2 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में या इन नियमों के प्ररूप 1 या प्ररूप 1-क या प्ररूप-2 में" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) नियम 12 के परंतुक में, "प्ररूप 1 या प्ररूप 1-क में" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में या इन नियमों के प्ररूप 1 या प्ररूप 1-क में" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ग) नियम 13 में, —

(i) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) कोई सरकारी सेवक जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाला है और पेंशन संदाय आदेश के जारी होने के समय पर प्राधिकृत होते हुए पेंशन के संराशीकृत मूल्य के संदाय की वांछा करता है, वह सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व पेंशन के कागज-पत्रों के साथ पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

(3क) यदि उपनियम (3) में निर्दिष्ट कोई सरकारी सेवक पेंशन के कागज-पत्रों और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 की प्रस्तुति के पश्चात् पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन करने की वांछा करता है तो वह उसके लिए प्ररूप 1-क में आवेदन करेगा।

(3ख) उपनियम (3) या उपनियम (3क) के अधीन पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन निम्नलिखित के अध्यधीन होगा, अर्थात्:—

(क) सरकारी सेवक केवल अधिवर्षिता की पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है ;

(ख) इन नियमों के प्ररूप 1-क या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में कार्यालय अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि यह अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व कार्यालय अध्यक्ष को पहुंच सके;

(ग) ऐसे किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जो सरकारी सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से तीन मास से कम अवधि पहले प्राप्त होता है; और

(घ) सरकार,(घ) सरकार पेंशन के संराशीकृत मूल्य के संदाय के लिए उत्तरदायी नहीं होगी यदि सरकारी सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व मृत्यु हो जाती है या ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व वह पेंशन के दावे को समपहृत करता है ।''

(घ) नियम 15 के उपनियम (3) में, —

(i) खंड (क) में "प्ररूप 1-क" में शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररुप 5 या इन नियमों के प्ररूप 1-क में" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के उपखंड (i) में, "प्ररूप 1-क" में शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 या इन नियमों के प्ररूप 1-क में" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) प्ररूप 1, प्ररूप 1-क और प्ररूप-2 में के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप I

स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन

[नियम 5(2), 6(1), 12, 13, 14(1) और (2), 15(1) और (2) तथा 16 (1) और (2) देखिए]

(सेवानिवृत्ति के पश्चात् किंतु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग 1

सेवा में,

....

....

(यहां कार्यालय अध्यक्ष का पदनाम और पूरा पता उपदर्शित करें)

विषय : स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन का संराशीकरण

महोदय,

मैं केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार नीचे यथा उपदर्शित अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण करना चाहता हूं । आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं : —

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ... ...
2. पिता / पति का नाम ... ...
3. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम ... ...

4. कार्यालय/ विभाग/ मंत्रालय का नाम, जहां नियोजित था ... ...
5. जन्म की तारीख (ईसवी सन् में) ... ...
6. सेवानिवृत्ति की तारीख ... ...
7. पेंशन का वर्ग जिस पर सेवानिवृत्त हुआ है ... ...
8. संराशीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मासिक पेंशन की प्रतिशतता (40% के बराबर या उससे कम प्रतिशतता उपदर्शित करें) ... ...
9. पेंशन संदाय आदेश के ब्यौरे, यदि जारी किया गया है ... ...
   (i) संख्या
   (ii) तारीख
   (iii) उस लेखा अधिकारी का नाम जिसने पेंशन प्राधिकृत की है
10. बैंक के खाते का ब्यौरा जिसमें प्रत्येक मास मासिक पेंशन जमा की जा रही है :
   (i) बैंक और शाखा का नाम
   (ii) खाता संख्या
   (iii) बीएसआर कोड

हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख : डाक का पता

भाग 2

पावती

श्री..(नाम),..से (पूर्व पदनाम), स्वास्थ्य परीक्षा के बिना ही पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए प्ररूप 1 के भाग I में आवेदन प्राप्त किया ।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय अध्यक्ष

नोट : इस पावती पर हस्ताक्षर कर मोहर लगाई तथा उस पर तारीख डाली जाएगी और प्ररूप से अलग करके आवेदक को सौंप दी जाएगी । यदि प्ररूप डाक से प्राप्त हुआ है तो वह उसी दिन अभिस्वीकार किया जाएगा और पावती पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी ।

भाग 3

लेखा अधिकारी..(यहां पता और पदनाम उपदर्शित करें) को इस टिप्पणी के साथ अग्रेषित कि :—

(i) आवेदक द्वारा भाग 1 में दी गई विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई हैं और वे सही हैं, (i) **आवेदक द्वारा भाग 1 में दी गई** विशिष्टियां **सत्यापित कर ली गई हैं और वे सही हैं,**

(ii) आवेदक स्वास्थ्य परीक्षा के बिना ही अपनी पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण करने का पात्र है ।

(iii) प्राधिकृत की गई पेंशन की रकम [यदि पेंशन की अंतिम रकम को प्राधिकृत नहीं किया गया है, तो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 64 के अधीन अनुमोदित अनंतिम पेंशन की रकम उपदर्शित करें]

(iv) वर्तमान में लागू सारणी के अनुसार संराशीकृत पेंशन का अवधारित मान .... रफ. होता है।

(v) संराशीकरण के पश्चात् अवशिष्ट पेंशन की रकम....................... रफ. होगी।

2. अनुरोध किया जाता है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के नियम 15 के अनुसार पेंशन के संराशीकृत मूल्य की रकम का संदाय प्राधिकृत करने के लिए आगे कार्रवाई की जाए।

3. प्ररूप के भाग 1 की पावती भाग 2 में अभिस्वीकृत कर दी गई है जिसे अलग से आवेदन को तारीख................. को अग्रेषित कर दिया गया है ।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय अध्यक्ष

प्ररूप 1क

स्वास्थ्य परीक्षा के बिना अधिवर्षिता पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप यदि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में इसके लिए आवेदन नहीं किया गया है

[नियम 5(2), 12, 13(3), (3क), (3ख), 14(1) और 15(3) देखिए]

(सेवानिवृत्ति के कम से कम तीन मास पूर्व दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग I

सेवा में,

....

....

विषय : स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन का संराशीकरण

महोदय,

मैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण करना चाहता हूं । आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं —

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ... ...
2. पिता/ पति का नाम ... ...
3. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम ... ...

4. कार्यालय/ विभाग/मंत्रालय का नाम जिसमें नियोजित है ... ...
5. जन्म की तारीख (ईस्वी सन् में) ... ...
6. सेवानिवृत्ति की तारीख ... ...
7. पेंशन का वर्ग जिस पर सेवानिवृत्त हुआ है ... ...
8. संराशीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मासिक पेंशन की प्रतिशतता (40% के बराबर या उससे कम प्रतिशतता उपदर्शित करें) ... ...
9. बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें प्रतिमास मासिक पेंशन जमा की जाएगी :

   (i) बैंक और शाखा का नाम :

   (ii) खाता संख्या :

   (iii) बीएसआर कोड :

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : डाक का पता

भाग II

(पावती)

मैंने..(नाम),......................................(पदनाम), से स्वास्थ्य परीक्षा बिना ही पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए प्ररूप 1क के भाग-I में आवेदन पत्र प्राप्त किया ।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय अध्यक्ष

टिप्पणी : यदि आवेदन अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास के पूर्व कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो यह पावती आवेदन से अलग करके आवेदक को सौंप दी जाएगी । यदि प्ररूप डाक से प्राप्त हुआ है तो वह उसी दिन अभिस्वीकृत किया जाएगा और पावती पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी । यदि यह विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्राप्त होता है तो वह तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह उस तारीख को या उसके पूर्व डाक में डाला गया हो,और आवेदक को उस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।

भाग III

लेखा अधिकारी.. (यहां पता और पदनाम उपदर्शित करें) को इन टिप्पणियों के साथ अग्रेषित कि :—

(i) भाग 1 में दी गई विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई हैं और वे सही हैं ;

(ii) आवेदक स्वास्थ्य परीक्षा के बिना अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संरांशीकरण करने के लिए पात्र है ।

(iii) प्राधिकृत पेंशन की रकम (यदि पेंशन की अंतिम रकम प्राधिकृत नहीं की गई है तो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 64 के अधीन अनुमोदित अनंतिम पेंशन की रकम उपदर्शित करें)

(iv) वर्तमान में लागू सारणी के संदर्भ में संराशीकृत पेंशन का अवधारित मान.........................रू. होता है

(v) संराशीकरण के पश्चात् अवशिष्ट पेंशन की रकम ....रुपये होगी।

2. आवेदक के पेंशन संबंधी कागजपत्र जो सभी प्रकार से पूरे थे, इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के पत्र संख्या..........................तारीख..............................के अधीन अग्रेषित कर दिए गए थे। यह अनुरोध किया जाता है कि पेंशन के संराशीकरण मूल्य का संदाय पेंशन संदाय आदेश के माध्यम से प्राधिकृत किया जा सकता है जो आवेदक की सेवानिवृत्ति से कम से कम एक मास पूर्व जारी किया जा सकता है।

3. इस प्ररूप के भाग-1 की प्राप्ति भाग-2 में अभिस्वीकृत कर दी गई है जिसे अलग से आवेदक को तारीख............................को अग्रेषित कर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय अध्यक्ष

प्ररूप 2

नियम 18 में निर्दिष्ट आवेदक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

[नियम 5(2), नियम 9(3), नियम 13(2), नियम 14(2), नियम 19, नियम 20(1), (2) और (3) और नियम 21(1) तथा नियम 25(2) देखिए]

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग-1

फोटो के लिए स्थान

सेवा में,

....
....
....
(यहां कार्यालय अध्यक्ष का पदनाम और पूरा पता उपदर्शित करें)

विषय :- स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् पेंशन का संराशीकरण

महोदय,

मैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण करना चाहता हूं। मैंने आवेदन पर अपनी एक स्वप्रमाणित फोटो चिपका दी है और उसकी एक गैर अनुप्रमाणित फोटो संलग्न है। आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं -

1.	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	... ...
2.	पिता/ पति का नाम	... ...
3.	सेवानिवृत्ति के समय पदनाम	... ...
4.	कार्यालय/ विभाग / मंत्रालय का नाम जिसमें नियोजित था	... ...
5.	जन्म की तारीख (ईस्वी सन् में)	... ...
6.	सेवानिवृत्ति की तारीख	... ...
7.	पेंशन का वर्ग जिस पर सेवानिवृत्त हुआ	... ...
8.	संराशीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मासिक पेंशन की प्रतिशतता (40% के बराबर या उससे कम प्रतिशतता उपदर्शित करें)	... ...

9. पेंशन संदाय आदेश के ब्यौरे, यदि जारी किया गया है
   (i) संख्या
   (ii) तारीख
   (iii) उस लेखा अधिकारी का पदनाम जिसने पेंशन प्राधिकृत की है
10. बैंक के खाते का ब्यौरा, जिसमें प्रतिमास मासिक पेंशन जमा की जा रही है :
   (i) बैंक और शाखा का नाम :
   (ii) खाता संख्या :
   (iii) बीएसआर कोड :
11. वह अनुमानित तारीख जिससे संराशीकरण की वांछा की गई है।
12. पहले से ही संराशीकरण पेंशन की रकम, यदि कोई है।
13. उस स्थान की वरीयता जहां स्वास्थ्य परीक्षा कराने के इच्छुक हैं

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : डाक का पता

टिप्पण : पेंशन के संराशीकरण मूल्य का संदाय उस संवितरक प्राधिकारी के माध्यम से किया जाएगा जिससे पेंशन ली जा रही है।

भाग - II
पावती

मैंने, श्री/कुमारी/श्रीमती....................................(नाम) ....(पूर्व पदनाम) स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए प्ररूप 2 के भाग 1 में आवेदन प्राप्त किया।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय अध्यक्ष

भाग - III

लेखा अधिकारी..................................(यहां पता और पदनाम उपदर्शित करें) इस टिप्पणी के साथ अग्रेषित कि आवेदन के भाग 1 में दी गई विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई हैं और सही हैं और आवेदक स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण कराने का पात्र है।

2. यह अनुरोध है कि प्ररूप के भाग 4 को पूरा करके यथासंभव शीघ्र इस कार्यालय को लौटा दिया जाए।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय अध्यक्ष

भाग - IV

(लेखा अधिकारी द्वारा पूरा किया जाए)

1. आवेदक का नाम ... ...
2. जन्म की तारीख (ईस्वी सन् में) ... ...
3. सेवानिवृत्ति की तारीख ... ...
4. पेंशन की रकम, जिसके अंतर्गत अनंतिम पेंशन सम्मिलित की गई है, यदि अंतिम पेंशन प्राधिकृत नहीं है
5. पेंशन का वर्ग [केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का अध्याय 5 देखें]
6. उपर्युक्त मद 4 में से पेंशन की रकम, जिसे संराशीकृत कराने की इच्छा है

निम्नलिखित के आधार पर		
सामान्य आयु	जोड़ा गया एक वर्ष	जोड़े गए दो वर्ष
.....................रू.	..............................रू.	.....................रू.

7. (i) यदि संराशीकरण आवेदक के जन्म की अगली तारीख, जो............................है, के पूर्व अंतिम हो जाता है तो संदेय रकम जो..................... को........................रू. हैं।

(ii) यदि संराशीकरण आवेदक के जन्म की अगली तारीख, के पश्चात् अंतिम हो जाता है, रकम..........................रू.

8. संलग्नकों की संख्या, यदि कोई है
[नीचे टिप्पण देखें] ... ...

स्थान : लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

तारीख :

प्रतिहस्ताक्षरित

कार्यालय अध्यक्ष

पूरा पता.............

टिप्पण : यदि आवेदक को अशक्त पेंशन मंजूर की गई है या उसने तत्पूर्व अपना पेंशन के भाग का संराशीकरण किया है या वास्तविक आयु में जोड़े गए वर्षों के आधार पर संराशीकरण को स्वीकार करने से इंकार किया है या स्वास्थ्य के आधार पर संराशीकरण से इंकार किया गया है तो लेखा अधिकारी को प्ररूप के साथ आवेदक के मामले की रिपोर्ट या उसका विवरण संलग्न करना चाहिए ।

[फा. सं. 42/22/2014-पी एंड पीडब्ल्यू (जी)]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का.आ. 1134, तारीख 11 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या 34/ 1/ 81 पेंशन इकाई तारीख 8 जुलाई, 1983 द्वारा संशोधित की गई और तत्पश्चात् पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई, अर्थात् :-

1. का.आ. 1870, तारीख 04/05/1985
2. का.आ. 2097, तारीख 18/05/1985
3. का.आ. 1775, तारीख 19/07/1997
4. का.आ. 918, तारीख 28/02/2002
5. का.आ. 1484(अ), तारीख 30/12/2003
6. का.आ. 2806, तारीख 09/11/2010
7. का.आ. 1964, तारीख 16 जून, 2012
8. सा.का.नि 236 (अ), तारीख 28/3/2014

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners' Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May , 2014

G.S.R. 355(E).– In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Commutation of Pension) Second Amendment Rules, 2014.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981, –
   (a) in rule 5, in sub-rule (2), for the words and figures "in Form 1 or Form 1-A or Form 2", the words and figures "in Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or in Form 1 or Form 1-A or Form 2 of these rules" shall be substituted;

(b) in rule 12, in the proviso, for the words, figures and letter "in Form 1 or Form 1-A", the words, figures, brackets and letter "in Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or in Form 1 or Form 1-A of these rules" shall be substituted;

(c) in rule 13, -

(i) for sub-rule (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(3) A Government servant who is due to retire on superannuation and desires payment of the commuted value of pension being authorised at the time of issue of the pension payment order, shall be eligible to apply in Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 for commutation of a percentage of pension along with pension papers prior to the date of retirement.

(3A) If a Government servant referred to in sub-rule (3) desires to apply for commutation of a percentage of pension after submission of pension papers and Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, he shall apply for the same in Form 1-A.

(3B) The application for commutation of a percentage of pension under sub-rule (3) or sub-rule (3A) shall be subject to the following; namely:-

(a) the Government servant retires on superannuation pension only;

(b) the application is submitted to the Head of Office in Form 1-A of these rules or in Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, so as to reach the Head of Office not later than three months before the date of superannuation;

(c) no such application shall be entertained if the period is less than three months from the date of superannuation of the Government servant ; and

(d) the Government shall have no liability for the payment of the commuted value of pension if the Government servant dies before the date of superannuation or forfeits claim to pension before such retirement."

(d) in rule 15, in sub-rule (3),-

(i) in clause (a), for the word, figure and letter "Form 1-A", the words, figures, brackets and letter "in Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or Form 1-A of these rules" shall be substituted;

(ii) in clause (b), in sub-clause (i), for the word, figure and letter "Form 1-A", the words, figures, brackets and letter "in Form 5 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or Form 1-A of these rules" shall be substituted;

(e) for Form 1, Form 1-A and Form 2, the following shall respectively be substituted, namely:–

" FORM I

FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION OF A PERCENTAGE OF PENSION WITHOUT MEDICAL EXAMINATION

[See Rules 5(2), 6(1), 12, 13, 14(1) and (2), 15(1) and (2) and 16(1) and (2)]

(To be submitted in duplicate after retirement but within one year of the date of retirement)

PART I

To

The...

....

(Here indicate the designation and full address of the Head of Office)

Subject:- Commutation of pension without medical examination.

Sir,

I desire to commute a percentage of my pension as indicated below in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981. The necessary particulars are furnished below –

1. Name (in Block Letters) ... ...
2. Father's/husband's name
3. Designation at the time of retirement ... ...
4. Name of Office/Department/Ministry in which employed ... ...
5. Date of birth (by Christian era) ... ...
6. Date of retirement ... ...
7. Class of pension on which retired ... ...
8. Percentage of monthly pension proposed to be commuted (indicate percentage, equal to or less than 40%) ... ...
9. Details of Pension Payment Order, if issued
   (i) Number
   (ii) Date
   (iii) Designation of the Accounts Officer who authorised the pension
10. Details of Bank account to which monthly pension is being credited:
    (i) Name of Bank and Branch
    (ii) Account No.
    (iii) BSR Code,

Place : Signature
Date : Postal Address

PART II
ACKNOWLEDGEMENT

Received from Shri.................................... (name), ……………………… (former designation), application in Part I of Form 1 for the commutation of a percentage of pension without medical examination.

Place : Signature
Date : Head of Office

NOTE. - This acknowledgement is to be signed, stamped and dated and is to be detached from the Form and handed over to the applicant. If the form has been received by post, it has to be acknowledged on the same day and the acknowledgement sent under registered cover.

PART III

Forwarded to the Accounts Officer...(here indicate the address and designation) with the remarks that -

(i) the particulars furnished by the applicant in Part I have been verified and are correct ;
(ii) the applicant is eligible to get a percentage of his pension commuted without medical examination ;

(iii) Amount of pension authorised. [In case final amount of pension has not been authorised, indicate the amount of provisional pension sanctioned under Rule 64 of the Central Civil Services (Pension) Rules,1972]

(iv) the commuted value of pension determined with reference to the Table applicable at present comes to Rs..............................

(v) the amount of residuary pension after commutation will be Rs.................

2. It is requested that further action to authorise the payment of the amount of commuted value of pension may be taken as in Rule 15 of the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.

3. The receipt of Part I of the Form has been acknowledged in Part II which has been forwarded separately to the applicant on...............................

Place : Signature
Date : Head of Office

FORM 1-A
FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION OF A PERCENTAGE OF SUPERANNUATION PENSION WITHOUT MEDICAL EXAMINATION IF NOT APPLIED FOR IN FORM 5 OF CENTRAL CIVIL SERVICES (PENSION) RULES, 1972
[see Rules 5(2), 12,13(3), (3A), (3B), 14(1) and 15(3)]
(To be submitted in duplicate at least three months before the date of retirement)

PART I

To
The...
....
(Here indicate the designation and full address of the Head of Office)

Subject:- Commutation of pension without medical examination.

Sir,

I desire to commute a percentage of my pension as indicated below in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981. The necessary particulars are furnished below –

1. Name (in Block Letters) ... ...
2. Father's/husband's name
3. Designation at the time of retirement ... ...
4. Name of Office/Department/Ministry in which employed ... ...
5. Date of birth (by Christian era) ... ...
6. Date of retirement ... ...
7. Class of pension on which retired ... ...
8. Percentage of monthly pension proposed to be commuted

(indicate percentage, equal to or less than 40%) ... ...

9. Details of Bank account to which monthly pension shall be credited:

(i) Name of Bank and Branch

(ii) Account No.

(iii) BSR Code:

Place : Signature
Date : Postal Address

PART II
ACKNOWLEDGEMENT

Received from Shri.................................... (name), ………………………. (designation), application in Part I of Form 1-A for the commutation of a percentage of pension without medical examination.

Place : Signature
Date : Head of Office

NOTE. - If the application has been received by the Head of Office at least 3 months before the date of retirement on superannuation, this acknowledgement should be detached from the Form and handed over to the applicant. If the form has been received by post, it has to be acknowledged on the same day and the acknowledgement sent under registered cover to the applicant. In case it is received after the specified date, it should be accepted only if it has been put into the post on or before that date subject to the production of evidence to that effect by the applicant.

PART III

Forwarded to the Accounts Officer.. (here indicate the address and designation) with the remarks that -

(i) the particulars furnished by the applicant in Part I have been verified and are correct ;
(ii) the applicant is eligible to get a percentage of his pension commuted without medical examination ;
(iii) Amount of pension authorised. [In case final amount of pension has not been authorised, indicate the amount of provisional pension sanctioned under Rule 64 of the Central Civil Services (Pension) Rules,1972]
(iv) the commuted value of pension determined with reference to the Table applicable at present comes to Rs..............................
(v) the amount of residuary pension after commutation will be Rs.................

2. The pension papers of the applicant completed in all respects were forwarded under this Ministry/Department/Office Letter No......................., dated........................... It is requested that the payment of commuted value of pension may be authorised through the Pension Payment Order which may be issued at least one month before the retirement of the applicant.

3. The receipt of Part I of the Form has been acknowledged in Part II which has been forwarded separately to the applicant on...............................

Place : Signature
Date : Head of Office

FORM 2

FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION OF A PERCENTAGE OF PENSION AFTER MEDICAL EXAMINATION BY AN APPLICANT REFERRED TO IN RULE 18

[see Rules 5(2), 9(3), 13(2), 14(2), 19, 20(1), (2) and (3), 21(1) and 25(2)]

(To be submitted in duplicate)

PART-I

SPACE FOR PHOTOGRAPH

To

The ....

....

....

(Here indicate the designation and full address of the Head of Office)

Subject:- Commutation of pension after medical examination.

Sir,

I desire to commute a percentage of my pension in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981. A self-attested copy of my photograph is pasted on the application and an unattested copy is enclosed. The necessary particulars are furnished below -

1. Name (in Block Letters) ... ...
2. Father's/husband's name
3. Designation at the time of retirement ... ...
4. Name of Office/Department/Ministry in which employed ... ...
5. Date of birth (by Christian era) ... ...
6. Date of retirement ... ...
7. Class of pension on which retired ... ...
8. Percentage of monthly pension proposed to be commuted (indicate percentage, equal to or less than 40%) ... ...
9. Details of Pension Payment Order, if issued
   (i) Number
   (ii) Date
   (iii) Designation of the Accounts Officer who authorised the pension
10. Details of Bank account to which monthly pension is being credited:

(i) Name of Bank and Branch
(ii) Account No.
(iii) BSR Code,

11. Approximate date from which commutation is desired to have effect... ... ...
12. The amount of pension already commuted, if any ... ...
13. Preference for station where medical examination is desired to take place ... .

Place : .... Signature
Date : .... Postal Address........

NOTE. - The payment of commuted value of pension shall be made through the disbursing authority from which pension is being drawn.

PART- II
ACKNOWLEDGEMENT

Received from Shri\ Kum.\Smt ……………………….................................... (name) …................................... (former designation) application in Part I of Form 2 for commutation of a percentage of pension after medical examination.

Place : Signature
Date : Head of Office

PART- III

Forwarded to the Accounts Officer..(here indicate the address and designation) with the remarks that the particulars furnished by the applicant in Part I have been verified and are correct and the applicant is eligible to get a percentage of his pension commuted after medical examination.

2. It is requested that Part IV of the Form may be completed and returned to this office as early as possible.

Place : Signature
Date : Head of Office

PART- IV
(To be completed by the Accounts Officer)

1. Name of the applicant ... ...
2. Date of birth (by Christian era) ... ...
3. Date of retirement ... ...
4. Amount of pension including provisional pension, if final pension not authorised... ...
5. Class of pension [See Chapter V of the CCS (Pension) Rules, 1972] ... ...
6. Amount of pension out of the amount in item 4 above that may be allowed to be commuted- ... ...

On the basis of		
Normal Age	1 added year	2 added years
Rs...........................	Rs.........................	Rs.......................

7. (i) Sum payable if commutation becomes absolute before the applicant's next birthday, which falls on..........................., Rs……………………

(ii) Sum payable if commutation becomes absolute after the applicant's next birthday Rs…………….

8. Number of enclosures, if any [See Note below] ... ...

Place : Signature and
Date : Designation of the
Accounts Officer

Countersigned (Head of Office)
Full address

NOTE. - The Accounts Officer should enclose with the Form a copy of the report or statement of the applicant's case if the applicant has been granted invalid pension or has previously commuted a part of his pension or declined to accept commutation on the basis of an addition of years to actual age, or has been refused commutation on medical grounds."

[F.No.42/22/2014-P&PW (G)]
VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

Note.– The Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 were published *vide* S.O. 1134, dated 11th April, 1981 and amended *vide* notification No. 34/1/81 Pension Unit dated the 8th July, 1983 and were subsequently amended *vide* following Notifications of Department of Pension and Pensioners Welfare, namely:–

1. S.O. 1870, dated 04/05/1985
2. S.O. 2097, dated 18/05/1985
3. S.O. 1775, dated 19/07/1997
4. S.O. 918, dated 28/02/2002
5. S.O. 1484 (E), dated 30/12/2003
6. S.O. 2806, dated 09/11/2010
7. S.O. 1964, dated 16th June, 2012
8. G.S.R. 236 (E), dated 28/3/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054